**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 99**

**सोमवार, 24 नवम्‍बर, 2014 3 अग्रहायण 1936 (शक)**

**सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतें**

99. **श्री बैष्णव परिडा:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतें विश्व में सबसे अधिक हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष-वार एवं राज्य-वार कितनी मौतें हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी असामयिक मौतों पर नियंत्र्ण पाने हेतु कुछ कार्य योजना/कार्यनीति तैयार की है;

(घ) शराब पीकर गाड़ी चलाए जाने पर नियंत्रण रखने हेतु क्या कार्य योजना है;

(ङ) क्या इस विषय में राज्य सरकारों को कतिपय परामर्शी उपाय जारी किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)**

**(क) और (ख):** इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, जिनेवा द्वारा प्रकाशित ‘वर्ल्‍ड रोड स्‍टैटिस्‍टिक्‍स’ (डब्‍ल्‍यूआरएस)- 2012 के नवीनतम अंक के आधार पर वर्ष 2010 में विश्‍व में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की अधिकतम संख्या भारत (1,33, 938), इसी वर्ष भारत के बाद चीन (65,225) में होने की रिपोर्ट थी । तथापि, अंतर्राष्‍ट्रीय तुलनाओं के लिए जनसंख्‍या के आकार, सड़क ज्‍यामिति, भौगोलिक क्षेत्र, वाहनों की संख्‍या आदि में ज्‍यादा भिन्‍नताएं होने की वजह से परिशुद्ध आंकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं । पिछले 5 वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्‍यक्‍तियों की कुल संख्‍या के राज्‍य-वार आंकड़े **अनुलग्‍नक** में दिए गए हैं ।

**(ग):** देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्‍नलिखित उपाय भी किये गये है:-

1. सरकार द्वारा राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति बनायी गयी है। इस नीति में विभिन्‍न नीतिगत उपाय जैसे जागरूकता बढ़ाना, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस स्‍थापित करना, इंटेलीजेंट परिवहन का अनुप्रयोग, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन इत्‍यादि सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्‍साहित करने पर बल देना ।
2. सरकार ने सड़क सुरक्षा मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन किया है। मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे राज्‍य सड़क सुरक्षा परिषद् और जिला सड़क सुरक्षा समितियों की स्‍थापना करें ।
3. मंत्रालय ने सभी राज्‍यों को सलाह दी है कि वे सड़क सुरक्षा के चार उपायों नामत: (i) शिक्षा (ii) प्रवर्तन (iii) इंजीनियरी (सड़कों और वाहनों) (iv) आपातकालीन चिकित्‍सा के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दों का समाधान करने के लिए बहुफलकी नीति अपानाएं ।
4. सड़क सुरक्षा को आयोजना चरण पर सड़क डिजाइन का अत्‍यंत महत्‍वूपर्ण हिस्‍सा बनाया गया है ।
5. राष्‍ट्रीय राजमार्गों/महामार्गों के चयनित सड़क खंड़ों की सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा ।
6. ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्‍थानों की स्‍थापना ।
7. हेलमेट, सीटबेल्‍ट, पावर स्‍टीयरिंग, पिछला दृश्‍य मिरर जैसे वाहन सुरक्षा मानकों को सख्‍त बनाना ।
8. सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में प्रचार अभियान ।

**(घ) से (च):** मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 185 शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में कारावास की सजा अथवा जुर्माना अथवा अपराध हेतु दोनों सजाएं प्रदान करती है । यह मंत्रालय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 185 के सख्‍त प्रवर्तन और राष्‍ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ शराब की दुकानों को हटाने के लिए सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के साथ इस मामले को उठा रहा है । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को यह परामर्शी जारी की है कि वे यह सुनिश्‍चित करें कि राष्‍ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ शराब की दुकानों के लिए कोई लाइसेंस जारी न किया जाए । राज्‍य सरकारों से उन मामलों के लिए जहां राष्‍ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस पहले ही जारी कर दिए गए हैं, उपचारात्‍मक कार्रवाई करने के लिए उनकी समीक्षा करने का भी अनुरोध किया था ।

**अनुलग्‍नक**

**सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतें के संबंध में श्री बैष्णव परिडा द्वारा दिनांक 24.11.2014 को पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 99 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक**

|  |
| --- |
| **कैलेंडर वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्‍यक्‍तियों की राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार कुल संख्‍या**  |
| क्र. सं.. | राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | आंध्रप्रदेश | 14,770 | 15,684 | 15,165 | 14,964 | 14,171 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 158 | 148 | 126 | 138 | 143 |
| 3 | असम | 1,991 | 2,256 | 2,342 | 2,291 | 2,441 |
| 4 | बिहार | 4,390 | 5,137 | 5,090 | 5,056 | 5,061 |
| 5 | छत्‍तीसगढ़ | 2,865 | 2,956 | 2,983 | 3,167 | 3,477 |
| 6 | गोवा | 321 | 327 | 333 | 292 | 266 |
| 7 | गुजरात | 6,983 | 7,506 | 8,008 | 7,817 | 7,613 |
| 8 | हरियाणा | 4,603 | 4,719 | 4,762 | 4,446 | 4,517 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1,140 | 1,102 | 1,072 | 1,109 | 1,054 |
| 10 | जम्‍मू और कश्‍मीर | 1,100 | 1,045 | 1,116 | 1,165 | 990 |
| 11 | झारखंड | 2,170 | 2,540 | 2,572 | 2,818 | 2,706 |
| 12 | कर्नाटक | 8,714 | 9,590 | 8,971 | 9,448 | 10,046 |
| 13 | केरल | 3,830 | 3,950 | 4,145 | 4,286 | 4,258 |
| 14 | मध्‍य प्रदेश | 7,365 | 8,085 | 7,869 | 8,175 | 8,588 |
| 15 | महाराष्‍ट्र | 11,396 | 12,340 | 13,057 | 13,333 | 13,029 |
| 16 | मणिपुर | 125 | 154 | 158 | 158 | 165 |
| 17 | मेघालय | 145 | 163 | 212 | 219 | 130 |
| 18 | मिजोरम | 60 | 82 | 81 | 77 | 97 |
| 19 | नगालैंड | 55 | 40 | 25 | 56 | 30 |
| 20 | ओडिशा | 3,527 | 3,837 | 3,802 | 3,701 | 4,062 |
| 21 | पंजाब | 3,668 | 3,542 | 4,931 | 4,820 | 4,588 |
| 22 | राजस्‍थान | 9,045 | 9,163 | 9,232 | 9,528 | 9,724 |
| 23 | सिक्‍किम | 87 | 71 | 106 | 55 | 68 |
| 24 | तमिलनाडु | 13,746 | 15,409 | 15,422 | 16,175 | 15,563 |
| 25 | त्रिपुरा | 229 | 231 | 245 | 272 | 226 |
| 26 | उत्‍तराखंड | 852 | 931 | 937 | 844 | 766 |
| 27 | उत्‍तर प्रदेश | 14,638 | 15,175 | 21,512 | 16,149 | 16,004 |
| 28 | पश्‍चिम बंगाल | 4,860 | 5,680 | 5,664 | 5,397 | 5,504 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 33 | 27 | 17 | 25 | 40 |
| 30 | चंडीगढ़ | 171 | 138 | 136 | 136 | 117 |
| 31 | दादरा और नागर हवेली | 45 | 62 | 63 | 53 | 49 |
| 32 | दमन और दीव | 33 | 31 | 33 | 29 | 31 |
| 33 | दिल्‍ली | 2,325 | 2,153 | 2,065 | 1,866 | 1,820 |
| 34 | लक्षद्वीप | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | पुदुच्‍चेरी | 218 | 239 | 233 | 193 | 228 |
|  | कुल | **125,660** | **134,513** | **142,485** | **138,258** | **137,572** |

\*\*\*\*\*